

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 246/2025

दायर दिनांक: 27.10.2025

उनवान

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. गोस्धनलाल पि. कालू जाति भील नि. कलोतिया तहसील सुनेल

2. मनोहरलाल पि. कालू जाति भील नि. कलोतिया तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-

प्रार्थी :- पैरोकार सरकार

अप्रार्थी :- एकतरफा



आदेश

दिनांक : 21.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम कलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 501/93 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 501/93 रकबा 0.0126 हेक्टर किस्म गै.मु. चाह दर्ज है। यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये चाहका राजस्व शिविर के दौरान श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2004 द्वारा किया गया है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाह नियमन नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 28.04.2005 से प्रतिवादी को गैर

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

1



खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। बिन्दु संख्या 3 में वर्णित नियमों के प्रावधानों में गैर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुएं के नियमन के पश्चात मात्र लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीजधारक दर्ज किया जाना था। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायनी की गई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.11.2025 को स्वयं उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेन्ट जमा करवाने हेतु सहमति देकर इन्ही तथ्यों को बहस मानने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का आकोदिया की रिपोर्ट, ग्राम कलोतिया की सं. 2078-2079 की खसरा गिरदावरी, ग्राम कलोतिया का नामा.सं. 239 दिनांक 28.04.2005, जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता सं. 218 नकल पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कलोतिया के खाता सं. 218 के ख.नं. 501/93 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थीगण गोर्धनलाल, मनोहरलाल पिस. कालू जाति भील नि. कलोतिया गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खादने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितकरण कर प्रति वर्ष 24/- की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर



उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 08.12.2004 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.11.2025 की आदेशिका में गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेंट की राशि की जमा करवाने हेतु सहमति प्रान की है।

6. पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम कलोतिया के खाता सं. 218 के ख.नं. 501/93 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थीगण गोस्धनलाल, मनोहरलाल पिस. कालू जाति भील नि. कलोतिया गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम कलोतिया के नामा.सं. 239 दिनांक 28.04.2005 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में "नियमन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिडावा से ख.नं. 93 किस्म चरागाह में से 0-01 गे. मु.चाह नियमन के आदेश हुए जिसकी राशि 264 + 25 + 500 = 789 र.नं. 7125/48 से दिनांक 08.12.2004 को जमा होने पर चाह दर्ज किया गया" का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख. नं. 501/93 किस्म चरागाह में से 0-01 बीघा भूमि पर बने चाह का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 08.12.2004 अनुसार उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा चरागाह भूमि ख.नं. 501/93 रकबा 0-01 बीघा पर अप्रार्थीगण गोस्धनलाल, मनोहरलाल पिस. कालू जाति भील नि. कलोतिया द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिक्रमित कुएं को 24/- प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गैरखातेदार दर्ज करने के



उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झारखण्ड (राज.)

5

आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थीगण द्वारा राशि 789/- जरिये पी 36 कमांक 7125/48 से जमा करवाई गई।

7. राजस्थान भूराजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तों पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो- के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तों के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षों के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षों की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्तें निम्नानुसार हैं –

**Rule 7. Conditions of allotment.**- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an



उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला शाखावाड़ (सज०)

6

opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में परोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरुद्ध टाईपिंग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।



9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 08.12.2004 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला इलाहाबाद (राज०)

का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिकमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरुस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिंग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरुस्त किये जाने के प्रावधान है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम कलोतिया तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 501/93 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:-

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम कलोतिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 501/93 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरुस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकाधिकारी  
पिठौरा, जिला शासक राज.